।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग. ।।

—:: पुनः रूची की अभिव्यक्ति :—

क्रमांक / लो0क0वि0 / 2016 / 484 दुर्ग, दिनांक 13/ 5 / 2016

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि, नगर पालिक निगम, दुर्ग के अंतर्गत शिवनाथ नदी पुष्प वाटिका का संचालन एवं संधारण कार्य हेतु इच्छुक ठेकेदार / संस्था / एन.जी.ओ. / एजेन्सी से दिनांक 22/5/16 को सायं 5.30 बजे तक स्पीड पोस्ट / रजिस्ट्री के माध्यम से रूची की अभिव्यक्ति आफर कार्यालय लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग में तीन लिफाफा पद्वती के माध्यम से आमंत्रित की जाती है । रूची की अभिव्यक्ति नगर निगम, दुर्ग के बेव साईट **www.municipalcorporationdurg.com** से डाऊन लोड किया जा सकता है ।

उपरोक्त रूचि की अभिव्यक्ति संबंधी दस्तावेज उपस्थित ठेकेदार / एजेन्सी / फर्म के समक्ष दिनांक 26/5/16 ....को 5.00 बजे तक कार्यालयीन समयावधि में खोली जावेगी ।

नियम एवं शर्ते :—

1— अमानत राशि के रूप में एफ.डी.आर. रू. 25,000 / — का आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग के नाम से जमा करना होगा ।

2— शिवनाथ नदी पुष्प वाटिका पार्क प्रबंधन अवधि 01 वर्ष तक के लिए वैद्य रहेगी । तथा 01 वर्ष के पूर्व नवीनीकरण करना अनिवार्य होगा । अधिकतम प्रबंधन अवधि 03 वर्ष के लिए वैद्य होगी ।

3— दर स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार, नगर निगम, दुर्ग के पास सुरक्षित रहेगा ।

4— लिफाफा ''अ'' में अमानत राशि के रूप में एफ0डी0आर. एवं फर्म संबंधित दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना होगा ।

5— लिफाफा ''ब'' में ऑफर दर संलग्न करना होगा ।

6— लिफाफा ''स'' में लिफाफा ''अ'' एवं ''ब'' को डालना होगा ।

7— अन्य नियम एवं शर्ते कार्यालयीन समयावधि में देखी जा सकती है ।

कार्यपालन अभियंता
वास्ते / — आयुक्त
नगर पालिक निगम, दुर्ग.

पृ0 क्रमांक / लो0क0वि0 / 2016 / 484 / 17/5 दुर्ग, दिनांक 13/5 / 2016

प्रतिलिपि :—

1— मान्0 महापौर, नगर पालिक निगम,दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ ।

2 प्रभारी, नगरीय नियोजन एवं लोक कर्म विभाग, नगर पालिक निगम, दुर्ग की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

3— जनसंपर्क अधिकारी, दुर्ग को सूचनार्थ प्रेषित कर दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशनार्थ हेतु ।

4— श्री टी0के0देव, उप अभियन्ता को सूचनार्थ प्रेषित कर रूचि की अभिव्यक्ति आफर वेब साईड में प्रकाशित करने हेतु ।

5— नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु :— नगर पालिक निगम मुख्य कार्यालय भवन ।

File 17-5-16

कार्यपालन अभियंता
वास्ते / — आयुक्त,
नगर पालिक निगम, दुर्ग

।। कार्यालय नगर पालिक निगम, दुर्ग. ।।

–:: शिवनाथ नदी स्थित पुष्प वाटिका संचालन एवं संधारण हेतु शर्तें ::–

1– नगर पालिक निगम, दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत शिवनाथ नदी के किनारे पुष्प वाटिका स्थित है, जिसका क्षेत्रफल **6995 वर्ग मीटर** है ।

2– पुष्प वाटिका में निम्नांकित संरचनाए एवं सुविधाऐं उपलब्ध है ।
   1– म्युजिकल फाउण्टेन
   2– रेस्टारेंट – क्षेत्रफल लगभग 500 वर्ग मीटर
   3– अन्य फाउण्टेन
   4– निर्मित भवन क्षेत्रफल **766 वर्ग मीटर**
   5– टूयूबवेल एवं मोटर
   6– लाईटें
   7– अन्य

3– पुष्प वाटिका का संचालन एवं संधारण एवं साफ–सफाई निविदाकार को स्वयं के व्यय से करना होगा।

4– पुष्प वाटिका को सोमवार छोड़कर अन्य सभी दिवस को **प्रातः 5.00 से 8.00 बजे शाम 4.00 से 8.00 बजे** तक आम जनता के लिए निःशुल्क खुला रखना होगा । यह समय आयुक्त के आदेषानुसार परिवर्तित किया जा सकेगा ।

5– उपरोक्त समय को छोड़ अन्य समय में निविदाकार पुष्प वाटिका में अन्य कार्य जैसे :– पिकनीक, शादी, ब्याह, पार्टी या अन्य कोई कार्यक्रम आयोजित कर सकेगा । इस हेतु शुल्क/फिस निविदाकार ले सकेगा । उपरोक्त कार्यक्रमों से आम जनता को काई परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा आम जनता के लिए निर्धारित समय पर कोई कार्यक्रम संचालित नहीं होगी ।

6– कार्यक्रम के उपरांत आम जनता के लिए उद्यान को खोले जाने से पूर्व साफ–सफाई करनी होगी ।

7– निविदाकार को पुष्प वाटिका की समस्त सम्पत्तियॉ की सुरक्षा करनी होगी । किसी भी प्रकार का टूट–फूट या चोरी की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी ।

8– निविदाकार को निविदा के साथ 50,000/– रू. (पचास हजार रूपये) का एफ0डी0आर0/डी0डी0/ नगद जमा करना होगा ।

9– निविदाकार को बिजली बिल का वहन स्वयं करना होगा ।

10– फाउण्टेन मेन्टनेश हेतु एक कर्मचारी निगम की ओर से कार्यरत रहेगा । जिसका वेतन निविदाकार द्वारा दिया जावेगा ।

11– निविदाकार द्वारा गार्डन से प्राप्त होने वाली आय के एवज में वार्षिक राशि नगर निगम में जमा करनी होगी, जो कि 1,00,000/– (एक लाख रूपये) से कम नहीं होगा ।

12– शर्तो का पालन नहीं करने पर निम्नानुसार पेनाल्टी देय होगी ।

   क– गंदगी पाये जाने पर रू. 1,000/– प्रति अवसर पर
   ख– रंगरोगन या टूट–फूट पाये जाने पर जैसा उपयुक्त समझा जावे ।
   ग– घास कटाई न होने पर या घास सूख जाने पर रू. 1000/– प्रति अवसर ।

क्रमशः– 02 –पर

13— पुष्प वाटिका के फूल पौधे एवं लॉन का हरा भरा एवं जीवंत रखना होगा ।
14— बच्चों के खेल उपकरण का आवश्यक संधारण कर देखभाल करना होगा ।
15— पार्क में विद्यमान मूर्तियों की साफ–सफाई एवं देखभाल करना होगा ।
16— पार्क में असामाजिक/असवैधानिक क्रियाकलाप वर्जित रहेगा, इसका पालन करना होगा । इसका पालन कराने के लिए एजेन्सी जिम्मेदार रहेगा ।
17— पार्किंग स्थल पर ही वाहनों को पार्किंग कराने की जिम्मेदारी एजेन्सी की रहेगी ।
18— पार्क में प्रवेष निःशुल्क होगा । एजेन्सी द्वारा किसी भी प्रकार का शुल्क लिये जाने पर अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी ।
19— बिना कोई सूचना दिये अनुबंध को निरस्त करने का सर्वाधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम दुर्ग के पास सुरक्षित रहेगा ।
230— आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग द्वारा दिये गये आदेशों निर्देशों का पालन करना होगा ।
21— किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा ।

आयुक्त,
नगर पालिक निगम, दुर्ग